### नइ ादल्ला, 14 फरवरा, 2003

सा. का. नि. 94.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (शिशु रोग विज्ञान), उपाचार्य (शिशु रोग विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शिशु रोग विज्ञान) के पदों पर ते की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनादे हैं, अर्थात् :— 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संदित्व नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (शिशु रोग विज्ञान), उपाचार्य (शिशु रोग विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शिशु रोग विज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भूती नियम, 2002 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे। noitutizal vitersviaU boxingoos

 पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान — उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से अ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। [भाग II—खण्ड 3()]

पद का

1. आन

### भे भारत का राजपत्र : मार्च 1, 2003/फाल्गुन 10, 1924 10 TOTALAD BHT

'4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अईताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अईताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वीक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरहेता : वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः निक प्रासी कि जिल सीये घरी थिए काने वाले व्यक्तायों के रतेण भगश्चित घोश्च ह जार में य जरताग

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है। हा कार्या हाइनियार सामगण के प्रवर्ग महारोपार स्थिप किसी

अनुसूची

: का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	आधार चयन य	पर ग	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सेवा में जोड़े सीमा सीमा कार्यदा अनु- कोय है या नहीं
				ज्येष्ठत अचयन	। अथ्व । पद	दिपाण नआताएं, अन्यवा युआहित अध्योत्ती हो द्या ये पंत ला आयोग फे विवेकान्स्रीर णिलिन को या स्वरती है।
'1 ( IN )	2	3	4	5		दिस्सम 17 — अनुभव राजेनी अर्हता (जाहेताए) होत होते. मेन्द्र आयोग
आचार्य (शिशु रोग विज्ञान)	01 * (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ' क' राजपत्रित अननु- सचिवीय	18600-500- 22100 रु. और प्रैक्टिसबंदी भत्ता		लो हो इ. 19 इ. 19 काम प राजिन राजिनि	पचास वर्ष से अधिक नहीं। (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, जिन्न सोटा कि जिन्न
			יאים שועית ניאים אועית		s nely	मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, के का मार्ग्स क्रिकी नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर किल्कार कि कि निर्मानक राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल
क्रिसाइडर)	ह. मुझ्झेकि जावते ह. मुझ्झे कि जावते ह. मार्च के जावते	defe were a	an analyticaticaticaticaticaticaticaticaticatica	19.5000	क हुई	और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी का हडीएक कारफार्क्त उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
गर फिर्ल ( कि	n na sana sana Na sana na sana Na sana sana sana	ginin terdisiya Sirin Sirin	looset — cách (§ 19 netř pál)	त्र संस्थित स्वर्ग सिंह	i (ii	टिप्पण 1 : गैर-आयुर्विज्ञान अर्हताओं सहित ज्येष्ठ प्राध्यापक, उपाचार्य और आचार्य की श्रेणी में शिक्षकों की संख्या इन श्रेणियों में पदों की

नन्ते पास सांघ के आधीन सीच पती किंग नाने वाले का**विवये के लिग** कुल संख्या के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। । हे भारतगढ़ प्रमय प्रतिव स्टाहती

529

# THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 1, 2003/PHALGUNA 10, 1924

[PART II-SEC. 3(i)] ]

. Anime in a the binare pain-rule size for for 10 20 100 -		ें. मना को पढांत त
15.236	टेप्पण 2 : आचार्य के पद को विभाग	ाध्यक्ष केंद्र कि जित के दीव हन
	जप में पदाभिहित होने की दशा में	
an an anna la an	गन्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान डिग्री अर्हता या	समतुल्य
	प्रईता वाले शिक्षकों को ही पद पर नियु	
হ জিন্দী আলি স নিগত বিভাগ কৰে। কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় নিগত	्रति या आपनी पानी के जोकित गएगा	(ख) विक्ति अपने
ीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हत	एं सीधे भर्ती किए जाने वाले	िति परिवीक्षा की अवधि, <sup>17</sup> वि
। विद्याहरणने स्थान्त्र और विरुद्धह के अन्य प्रधान के प्रधान के स्थान के स		यदि कोई हो।
वयित को "स निरुष के प्रकार से युवारे रुवसरे स्वासी र करने लेक कर के ल		खीन अनुजेय है और ऐसा करने
	पोचन त्यक्तियों को दशा में	Sum langer was been in
	लागू होंगी या नहीं।	THE PARE PARTIES
en la construction de la	9. (1997) 1. (19	10 minut 10 minut, martes f
	आय : नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाल
भावश्यक : i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102)	श्रीक्षिक अर्हताएं : हां	व्यक्तियों के लिए एक
)) भारतीय आयुषिकान पारपद् आया भूम, 1990 र 1990 र मार्ट्य ही अनुसूची में सम्मिल्ति कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता	अभग घर विकाल गए आलेलों के स्वी	निमित्वर्थ। सबस सब गाव मतन
ता अनुसूची में साम्मालत कोई एक मूरी पिस्पायधारी ने समुर राजुर राजस्टा केसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्री	व्यक्तियों के लिए उपयोग करना क	भिक्तों और अन्य विक्रीय प्रकर्भ के
ोना चाहिए।	न)	
<ul> <li>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.एस. (शिशु रोग विइ या समतुल्य।</li> </ul>	विकल्पा, वैतनमान याग्यना व	र का नाम 'पदां की संख्या ' नग
या समतुल्य।	P TIME	
iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव	T FRF	
(III) दिनार्वस्य राज्य के अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय	ar tipe	
शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए।		
रियाण 1 .— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक र वाणोग के विवेकानमार शिथिल की जा सकती है।	PICTOR CONTRACTOR	
		asterio grantati I
टिप्पण 2:अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के		
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों व	<u>и</u>	
दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ ल	an -002-00680 19914	
सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के	प्रीय भेवा 22 100 थी. होता गण	
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या मे	ह'र्द्र' और से में देखें के कि	
उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। ये सम्बन का कि का कि का कि	পেশিল ইনিব্যস্তাই	
वांछनीय : इनडैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से क	ा चार	परिवर्तन बिया उन
अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन ह	II sfor	The LA PRACE IF.
and the first second of the second se		11 1 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	तिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दश	ा में वे श्रीणया जनस प्रान्तत/
भता को पद्धात ! मता साथ राजा मात्र तात्र द्वारा भरे जाने प्रतिनियुर्गि नियुवित/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने प्रतिनियुर्गि	त/आमेलन किया जाएगा	
	and the second second second second second second	and our and you and manifesting
and the second sec	12 Martin the second states in the	weight of the first of the second second second
		ल्पकालिक सावदा मा ह
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंगत अल्पकालिक सावदा प्रान्नति) भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। I. केन्द्री	माता पुर्वा ( सरकारों/संघ राज्य	क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशास
भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ता द्वारा। 1. कन्द्र	ों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अ	अधिकारी :
(+10)	) जो दिरापित आधार पर सदश पद	धारण किए हुए हैं ; या
(क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क)	) जिल्लोंने 16400-20000 रु. के र	ग समतुल्य वेतनमान वाले पदों प
and a second		
	2 99 1991911 991 91 0, 911	
कारी से प्रायं के स्थान का कि कि कि से से साम के से में सिंह की की क्षेत्रक दन नोरान कि करें		किए जाने वाले व्याक्तया के लि
(ख)	त्रनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती बहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं।	किए जाने वाल व्याक्तया काल

[भाग II—खण्ड 3(i)]

िभाग 11- ख	us j(1)]		नारत का राज	97.9141,20	00741(1110, 1724	551
					12	
				जिन्होंने किया उ प्रोन्नति पोषक प्रवर्ग पर नियुक्ति संगठन/विध प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति	4 (शिशु, रोग विज्ञान) की श्रेणी में ऐसे विभागी उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्य ताएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चय द्वारा भरा गया समझा जाएगा। के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पी के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रव नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं हों के की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के भाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नह (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के देन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अ	केतयों के साथ विचार गन हो जाता है तो उसे केत में हैं, प्रतिनियुक्त कार प्रतिनियुक्त व्यक्ति गे। उसी या किसी अन्य य काडर बाह्य पर पर ों होगी। प्रतिनियुक्ति लिए अधिकतम आयु
n orania Ascentra				naife ge	े के सब्दोंन की नेमनावित्तर गरी के हो की है।	आयोग को यह रा
Sector States and States	र प्रोन्नति समिति है	, तो उसकी सं	रचना	FTT LOS IDS	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ से परामर्श किया जाएगा।	। लोक सेवा आयोग
	13			17 P.A. B.	201 คราวในการ 2014 (1997) 1914 (1997) 1914	जान्त्र . इत्रियां ह
समूह 'क' कि करने के लि		समिति ( पुष्टि	: के संबंध में		प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आ करना आवश्यक है।	योग से परामर्श
<ol> <li>सचिव,</li> <li>प्रधानाचा</li> </ol>	व, चंडीगढ़ प्रशास आयुर्विज्ञान शिक्षा च, सरकारी आयु , चंडीगढ़	और अनुसंधान	ा, चंडीगढ़ प्रश गलय और	alter all a series	। (वित्ये वीर्षित वानाव किंस रवित्य , हा	्र क्रीहुलोहीय डोलॉय इ.स.बैसको (वे सि
Kilennie fam	2	3	4	5	6	7
<ol> <li>उपाचार्य</li> <li>(शिशु रोग</li> <li>विज्ञान)</li> </ol>	01* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' राजपत्रित अननु- सचिवीय	20100 रु. अ प्रैक्टिस बंदी	0– द्वारा चयन गौर	50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम	1 7

भाषामा को विद्यु सेने दिवार को निर्वारणको में उसके निर्वारणके आदिव्यों से पूर्व थे विद्यार्थ का सेना के दो को निर्वारणक स्वरूप को विद्यार विद्यार केवल जावता और जात का स्वरूप को विद्यार जन्म रही को स्वर्थ जावता और स्वरूप का स्वरूप के सिंह जन्म रही की स्वर्थ जावता का स्वरूप के स्वरूप के स्वरूप के सिंह दे के रही की रही सार्वित का कहा है।

मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,

नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल

और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-

भगग किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत

होना चाहिए।

16(15) QH207

[PART I]	
----------	--

## THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 1, 2003/PHALGUNA 10, 1924

an article the Table .

I fr remain

वि विश्वामीय ब्रोफ्रीय समित है, तो उसकेो मंग्रस्ता

(ii)	किसी मान्यताप्राप्त	विश्वविद्यालय/संस्था	से	एम. डी.	(शिशु रोग विज्ञान)
1.52	या समतल्य।	र के देव कार्य करी हो।		合计和	ं यह विक्रिकी यह

8

(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यायल/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ ज्येष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

टिप्पण 1 : — अईताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्प्ण 2 :— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अर्थ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

वांछनीय : इन्डैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन ।

<ul> <li>ख्वाचा आणाइयक है।</li> </ul>	करने के लिए) : 1. गुरु सचिव, संटोगड़ एतस्त
11	12 Frank unter and a state of the state of the state of the
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : ऐसा ज्येष्ठ प्राध्यापक (विकलांग विज्ञान) जिसने इस श्रेणी में प्र दो वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :
ी तरावता के दिये इ.स. आपक पता के से आपक पता	<ul> <li>I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :</li> <li>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदुश पद धारण किए हुए हैं ; या</li> </ul>
भाग सम्पन्ध स्थान स्थान स्थान स्थान विस्त प्रियम्प्रिय स्थान स्थान होते स्वयुद्धाः स्वत् विद्वित्व स्थान स्थान हे स्थान गा स्वयुद्ध सीर्थ सम्पन्धि स्थान हे स्थान हे स्थान	(11) जिन्हीन 14300-18300 र. प. प. प. प. प.
म तेवर व विषय के विषय में समय में स्वाप के स्वाप स्वाप के सिम्बर किला कि साथ के साथ	(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं।
(स) - ता भौतम, नयमहा, यो, राम्रा २, सार्थमाझल प्रदेश, किर्तुमान, प्रयुग्ध 15, जिस्सा, निर्णयस्य अवस्य स्वयंत्र हे स्वयंत्र क्षेट प्रायासल प्रदेश के लाग	II. उपाचार्य (शिशु रोग विज्ञान) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो कर रोग की राग भाषा समझा जाएगा।
वित्ते केले स्वार्थक किये के स्वार्थ कर के प्रसार के अन्यत्वार के स्वार्थक के स्वार्थ के विद्या का लग्न किस्ति का स्वार्थक कर	पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,
and a second	होंगे।
आयु : पही आयु : पही शैक्षिक आरु नाम : सां नारान्सी के निहर सहित - सिक्षिक आरु नाम : सां नारान्सी के निहर सहित	(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवदेन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

- 1308.78-						14	
समूह 'क' वि	वभागीय प्रोन्नति	समिति प्रोन	ति के संबंध में ।	वेचार करने	के लिए:	सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पक	ालिक
	सदस्य, संघ लोक			— अध्य	क्ष	संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक	सेवा
1.1	व, चंडीगढ़ प्रशा			—सदस्य		आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	in the second
			न, चंडीगढ़ प्रशाग	सन — सदस्य	<b>1</b> 1997 10	and a star word in the way in the start	1. 1. A
	र्य, सरकारी आयु	विज्ञान महावि	द्यालय और				
अस्पताल	, चंडीगढ़		-	—सदस्य	न	, মালিলে, জিল্লীলন মহানলন	
					3.24	and an arrive leger the center receipting per	rita
1	2	3	4	5		6. Alter and the second protocol and the <b>7</b>	wa .
ज्येष्ठ	02*	साधारण	14300-400-	लागू नहीं	50 वर्ष से	अधिक नहीं।	
प्राध्यापक	(2002)	केन्द्रीय सेवा	15900-450-	होता	(सरकारी	सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा	a ta
(शिशु रोग	*कार्यभार के	समूह 'क'	18150 रु. और		जारी किए	गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार	114
विज्ञान)	आधार पर	राजपत्रित	प्रैक्टिस-बंदी			शिथिल की जा सकती है।)	
11-332	परिवर्तन किया	अनैनु-	भत्ता		टिप्पण :	आयु-सीमा अवधारित करने के लिए	
1997 (	जा सकता है।	सचिवीय				तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन	
		8. I			, प्राप्त करने	के लिए नियत की गई अंतिम तारीख	
), Reader refy incly and -			on alternation a program at an program at an program at a so program at a so p		मेघालय, नागालैंड, राज्य के और स्पीति	कि वह अंतिम तारीख जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप–	ibas¶ Reeol
							r inner i
			Servin a cell u-		क अभ्याथ	ग्यों के लिए विहित की गई है।) कि स्वयंगत (S)	

को अनुसूचियों में सम्मिलित कोई मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (शिशु रोग विज्ञान) या समतुल्य।

(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/रजिस्ट्रार/ सीनियर रेजिडेंट/परिदर्शक/ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

टिप्पण 1 :— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। applicable to steen person and the other pairs person from the operation of this told.

Romitic repetition

shall be effected for uppoli

may, by order Lior recommon here with a vertice of the provisions of these rules with respect to a

to be provided for the Schedules Cases the address of perions in accordance with the u

435 GI/2003-10

THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 1, 2003/PHALGUNA 10, 1924

[PART II-SEC. 3(i)]

	/ 11		12	Sector California	÷1	A Party and a second
	सीधी भर्ती द्वारा	्यत्र के लिख गणा	लागू नहीं होता	इन्देश सोवर्गेङ स	निवधि स्वीतमहो	<b>公</b> "明明
	NEW 10 NOT STREET HOM TO THE LOS OF BUTCH	自15年4			<b>新於中時,</b> 1977年	and the second second
	13 37751277 11 5.8 (2018)	THE PARTY OF			वित् चाउँगाहे प्रस्त	HANTLA F
पुगि	छ के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय	र प्रोन्नति समितिः	संघ लोक सेवा अ	प्रायोग से पराम	र्श करना आवश्य	<b>। ई क</b> क. प्रधानाच
1.	गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन	—अध्यक्ष	t - second s		া, ৰব্যান্	
2.	सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन	– सदस्य		and the second		والمتعادية والمتحادث والمتحاد
		a splin M	4	1	S.	t -
3.	प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और	-सदस्य किल्लाम	14300-400-	的知道的	Sec. *50	Pater
	अस्पताल, चंडीगढ़		15900-450-	क्रांड की इन्हें क	(2002)	directed
4.	संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी	Line at hits	the or oat be		के अमरे क	( रिशस्त्री स्ट्रेग
	आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़	—सदस्य		a second and a second s	10 110110	( mine)

[सं. वी. 24011/10/2002-एम ई डैस्क-II]

जिल्ला एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

## New Delhi, the 14th February, 2003

G.S.R. 94 .--- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Professor (Paediatrics), Reader (Paediatrics) and Senior Lecturer (Paediatrics) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :---

1. Short title and Commencement -(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Paediatrics), Reader (Paediatrics) and Senior Lecturer (Paediatrics), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay . — The number of the said posts, their classification and the गावश्यक (1) गागीय वाला scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

5. Disqualification .- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, in the second se मान्यताप्राच सारकली न्याप्रसिक्षात स्वतांवद्यात्रकार्युको व्याप्र

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any st person from the operation of this rule.

6. Power to relax .---Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

ana sus (111)

[भाग II—खण	(i) ]	मार	and the second secon	ार्च 1, 2003/फाल्गुन CHEDULE	10, 1924
Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	tion by merit or Selection-cum- seniority or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits
	2	3	4	5	6

	2	3	4	5	6 7 <sup>531710</sup>
1. Professor (Paediatrics)	01*(2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 18,600- 500-22,100 PLUS Non-Practicing Allowance	Not applicable	Not exceeding fifty Yes years (Relaxable for Government servants upto five years in accor- dance with the instructions or orders issued by the Central Government).
orries/ buttions : buttions			i and a second s	enars 1925 - 4 20012 1910 2012 2012 2012 2012 2012 201	Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of appli- cations from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
			d colora di tati e et	the state of the second s	

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
ennen 3 sie de la constant de la const	9	10
<ul> <li>Essential:</li> <li>(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State</li> </ul>	Age : No Educational Qualifications : Yes	One year for direct recruits.
(ii) M.D. (Paediatrics) from a recognized University/Institution or equivalent		
(iii) Ten years experience in the profession after acquiring post graduate qualification, out of which four years should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.	13 Hal Production Col. Matters matters) : w	Grada'A' Department (for considering confi

535

•

Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972

	AUGREN		
8	arotion of the	of Variat Classification	SatsM
te 1 : Qualifications are relaxable at the disc ion Public Service Commission in case of candida Il qualified.	ites otherwise	A DATE OF A DATE OF A DATE OF A DATE	licón
te 2 : The qualification(s) regarding experience is the discretion of the Union Public Service Comm	nission in the		
e of candidates belonging to the Scheduled ( beduled Tribes. If at any stage of selection, the U	Jastes or the Jnion Public	-	
rvice Commission is of the opinion that sufficiendidates from these communities possessing perience are not likely to be available to fill up the	the requisite	-sur 01*(2003) General Cen mini *Subject to Service Coug	Forf. 1 Store (Parette
them.		variation. Galacted	
sirable:		denendent · Nen-Ministri en workload	
inimum four Research Publications indexed in In ational Journals and one Research Publication in urnals.	dex Medicus/ analyses International		eas (11] ( (41)=2
ethod of Recruitment whether by direct	In case of recruitment by	promotion/deputation/absorption,	grades
amitment or by promotion or by deputation/	from which promotion/de		enlden Reader
psorption and percentage of the posts to be led by various methods	12	Long of Schedulers	and a second
11 romotion/deputation (including short term	The second secon	tate Governments/Union Territori	are and
	<ul> <li>(ii) with two year's regul 16400—20000 or equival</li> <li>(b) possessing the educat direct recruits under colur</li> <li>II. The Departmental Off two year's regular service outsiders. and in case he the same shall be deemen The Departmental Offici line of promotion shall no on deputation. Similar consideration for appoir [Period of deputation/ co in another ex-cadre post in the same or some of Government, shall ordir</li> </ul>	ional and other qualifications present in (8). icer in the grade of Reader (Paedia in the grade will also be considered /she is selected for appointment t I to have been filled by promotion er in the feeder category who are in the eligible for consideration for a ly, deputationists shall not be e tment by promotion. Intract including period of Deputation held immediately preceding this a ther organization/department of arily not exceed five year's. The may by deputation (including short-ter fifty six year's as on the closing	trics) wit alongwit o the pos o the dire opointme ligible for on/Contra ppointme the Centra aximum a m contra
and the second se	Teecipt of approximation	936(102 o 10 million out of 201) 829	1.35A
If a Departmental Promotion Committee exists,		Circumstances in which U Service Commission to be making recruitment	operio
		and the second	NAMES AND STATES
in the second second second second second	in the second second second	14 Consultation with Union Pu	an sent ye

	13				
Chandiga 3. Principal	arh Administra	Viedical College	h,	—Member —Member	Note 2
und Hos				on the state	af nemfidates from dess karanes , en pe Rijstrome arc an litelyne re for from,
1	2	3	4	5	/ 6 7 <sup>danzo</sup> 0
1. Reader (Paediatrics)	01* (2002)	General Central Service, Group'A' Gazetted, Non-Ministerial	500-20100	Not i applicable g	Not exceeding fifty Yes year's (Relaxable for Government servants upto five year's in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
o yeş 10					Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of appli- cations from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,

<ul> <li>Essential:</li> <li>(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council in a State</li> </ul>	Age : No Educational Qualifications :	One year for direct recruits.
<ul> <li>in any one of the schedules to the heregistered in a State Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.</li> <li>(ii) M.D. (Paediatrics) from a recognized University/ Institution or equivalent</li> <li>(iii) Five year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Assistant Professor/Senior Lecturer/Lecturer in a Recognized Medical College/Teaching Institution.</li> <li>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</li> </ul>	a); 2011 Administration 2011 and Rose and 2011 2012 1. 2012 2012 2012 2012 2012 2	Group A. Departmental Pro- flor considering conductors 1. Home Secretic Chamb 2. Secretary, Medweld Jac 6. Protopal, Government M 3. Protopal, Government M 3. Protopal, Government M 3. Protopal, Government M 3. Protopation (Page of the Strict Covernment (Network) 6. Chambert

[PART II—SEC. 3(i)]

El			8
<ol> <li>Secretary, Medical Education and Res Chandigath Administration.</li> <li>Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigath.</li> </ol>	e Commission iled Castes or on, the Union ficient number g the requisite	qualification(s) regarding e cretion of the Union Public Ser- didates belonging to the Scho ibes. If at any stage of selec- mission is of the opinion that s m these communities possess likely to be available to fill up t	relaxable at the disc in the case of cand the Scheduled Tri Public Service Com of candidates from
1	n series and a series of the s	A CONTRACTOR OF	Desirable :
1.Reader 01*(2002) Consul Consul	idex Medicus/	search Publications indexed in	Minimum four Res National Journals.
(Laconsories) "Subject (S. Charlester) Subject (S. Gazanad	the september of the second	and the second se	
areasi12 /-nol/ anabriogab	A CONTRACTOR	(Releasing for the second s	
TION (INCLUDING SHORT-TERM	CONTRACT	tion (including short-term hich by direct recruitment.	Promotion/deputat
tral/State Governments/ Union Territories/ nomous Organisations/Research Institutions:	II. Officers Statutory Bo	ndra andra service and and a service and a s	
ns posts on regular basis; OR		and the second states and the second states and the second states are second states and the second states are s	
gular service in posts in the scale of pay of quivalent; and	Rs 14 300-	onije (za ron) snaljen Gana benji sibni m Maranji na presla	
ational and other qualifications prescribed for umn (8)	(b) Possessir	ner og ender og -	in the stand strends in
ficer in the grade Senior Lecturer (Paediatrics) service in the grade will also be considered I in case he/she is selected for appointment to be deemed to have been filled by promotion.	II. The Depa with two ye alongwith out the post, the	Madiant, Madaine Madiant, Madained Trougt, Study, 1240 Division of Pathonese Kisimar State, Late	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
cer in the feeder category who are in the direct not be eligible for consideration for appointment rly, deputationists shall not be eligible for ntment by promotion.	line of prom	Party Spart District and Party Subscription of Chiefford Officiaries of	
ontract including period of Deputation/Contract t held immediately preceding this appointment other organization/department of the Central narily not exceed five year's. The maximum age by deputation (including short-term contract), fifty six year's as on the closing date of the	(Period of D in another e in the same Governmen limit for ap shall be no	Minacia) inglasi Actuaria tad Nicoha Stated Laksnedwerp)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	receipt of a	and a second	
The operation of the second states of the second st		101/2 - S/701	
on sum hum the state 14 sheet for	al the basic	13	
Consultation with Union Public Servic Commission is necessary on each occasion	n	rtmental Promotion Commit (confirmation) : etary, Chandigarh Administra	(for considering
<ul> <li>(iii) energy curing teaching experience in the optimite of the sequence of the sequence of the second second</li></ul>	* materiae	Medical Education and Resear Administration. Government Medical College	Chandigarh
Collegent entrine Institution Note1 :		al, Chandigarh. nd Head of the concerned De nent Medical College and Hor	and Hospita

	2	3 Press and	gr 4	5	6	a service of the service of	- 7
Senior cturer aediatrics)	-01* (2002) *Subject to variation	General Central Service Group 'A' Gazetted,	400-15,900- 450-18,150	Not applicable	Not exceeding year's (Relax Government upto five year	able for servants	No
स्तरण र	dependent on workload.	Non-Ministerial	Plus Non-Practising Allowance		dance with the	e instructions	
anivasi		in Constitution	Allowallee	14 19 1	Central Gove	rnment).	nage(T)/ (quar
		e e misipatisQr Etrophysic I. Sea	ne soloti bose je spinnisti bose je		for determini limit shall be	ing the age the closing	
			-Member	, ti	date for recei cations from	candidates	
			erente State Mandar		in India (ar closing date for those in	prescribed n Assam,	Ethnight S Intigent I bus Intigent I bus
				ideath Interior	n 1 Pastron	Arunachal Mizoram,	<ul> <li>Production and of Governm</li> <li>Chandigarh</li> </ul>
			Member		Tripura,	Sikkim,	
					Jammu and		
, geold mile					State, Lahau District and	Pangi Sub-	
					Division of District of	f Himachal	
				PAN IS VIN	Pradesh, An Nicobar Is	daman and	
					Lakshadwee	ep).	ल मह संय ले
1	A starting		State of the second second	1. 19 1725 1964	er area offer a	and the second s	T THE THE SECOND

Not applicable One year One year

as the first a lo

### Essential :

8

(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.

- (ii) M.D. (Paediatrics) from a recognized University/ Institution or equivalent
- (iii) Three year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Lecturer/ Registrar/Senior Resident/Demonstrator/Tutor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.

Note 1:

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

### Note 2 :

The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Surperior Surperior	· 12	T 11
ble	Not applical	Direct recruitment
Perdiatrice) windfolk bit straff, dependent hjur Ministerni	(10) (10) (10) (10)	
0.14±0.400	detter book	13
Consultation with Union Public Service Commission is necessary.	Chairman	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Home Secretary, Chandigarh Administration
	Member	<ol> <li>Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration.</li> </ol>
	-Member	<ol> <li>Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh.</li> </ol>
1	—Member	4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh
[No. V.24011/10/2002-ME Desk-II]		The second s
S.K. MISHRA, Under Secy.		united to a share a second second

# THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 27, 2004/AGRAHAYANA 6, 1926

[PART II-SEC 3(i)]

(ii) जिन्होंने 8000-13500 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 6500-10500 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है।''

[फा. सं. 3/32/2004-ईआई एंड ईपी]

, राज सिंह, निदेशक

# टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 577, तारीख 27 सितम्बर, 1991 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

# MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department of Commerce)

New Delhi, the 8th November, 2004

G.S.R. 395.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export Inspection Council (Recruitment) Rules, 1991, namely :-

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Council (Recruitment) Amendment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Export Inspection Council (Recruitment) Rules, 1991, against serial numbers 5 and 6 relating to the posts of Deputy Director (Technical) and Deputy Director (Non Technical), in column (9), for the existing entries under heading 'Transfer on Deputation', the following entries shall respectively be substituted, namely :-

"Transfer on Deputation :

Officers from the Central Government/State Government/Council/Agencies/Semi Government/Autonomous

(i) holding analogous posts; or

with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 8000-13500 or equivalent; or (ii)

with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 6500-10500 or equivalent." (iii)

[F. No. 3/32/2004-EI&EP]

RAJ SINGH, Director

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 577, dated 27th September, 1991.

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2004

सा. का. नि. 396.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (शिशु रोग विज्ञान), उपाचार्य (शिशु रोग विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शिशु रोग विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :---

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (शिशु रोग विज्ञान), उपाचार्य (शिशु रोग विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शिशु रोग विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (शिशु रोग विज्ञान), उपाचार्य (शिशु रोग विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यांपक (शिशु रोग विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर ''2003'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं॰ वी॰-24011/10/2002-एम ई डेस्क-II]

एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 94, तारीख 14 फरवरी, 2003, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

## New Delhi, the 16th November, 2004

G.S.R. 396.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President by makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor diatrics), Reader (Paediatrics) and Senior Lecturer (Paediatrics), (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002,

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Paediatrics), ler (Paediatrics) and Senior Lecturer (Paediatrics), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Paediatrics), Reader (Paediatrics) Senior Lecturer (Paediatrics), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said ), in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

[No. V.-24011/10/2002-ME Desk-II]

S. K. MISHRA, Under Secy.

note: The Principal notification No. G.S.R. 94, dated the 14th February, 2003 was published in the Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India on 1st March, 2003.

## नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2004

सा. का. नि. 397.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान द्धालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (विकलांग विज्ञान), उपाचार्य (विकलांग विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (विकलांग विज्ञान), : 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :---

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (विकलांग विद्या), उपाचार्य लांग विद्या), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (विकलांग विद्या), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (विकलांग विद्या), उपाचार्य (विकलांग विद्या), और ज्येष्ठ मक (विकलांग विद्या), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के ग्यम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर ''2003'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं॰ वी॰-24011/10/2002-एम. ई..डेस्क-Ⅱ]

एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव

टप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 93, तारीख 14 फरवरी, 2003 भारत के राजपत्र भाग Ⅱ, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

### New Delhi, the 16th November, 2004

G.S.R. 397.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby s the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Orthopaedics), r (Orthopaedics), and Senior Lecturer (Orthopaedics), (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002, namely :-

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor opaedics), Reader (Orthopaedics), and Senior Lecturer (Orthopaedics), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment ndment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Orthopaedics), Reader (Orthopaedics), nior Lecturer (Orthopaedics), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

[No. V.-24011/10/2002-ME Desk-II]

S. K. MISHRA, Under Secy.

ote: The Principal notification No. G.S.R. 93, dated the 14th February, 2003 as was published in the Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India on 1st March, 2003.